राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda – 210201

E-Mail: director@recbanda.ac.in URL: www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301 Mob:+91-8765089509

पत्रांकः आर0इ0सी0 / डी0एस0डब्ल्यू0 / 2025– 706 दिनांकः 16 जुलाई, 2025

–:सूचना:–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संस्थान में पंजीकृत / नवप्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत फीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सन्दर्भ में निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या सी–928 / स0क0 / शिक्षा–अ / 4 / 159–2 / 2024–25 दिनांक 20 जून, 2024 में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न), जिससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है–

1. पात्र एवं सही डाटा वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। अतः विद्यार्थी द्वारा संस्थान को शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं यूजर चार्जेज शुल्क देय नही होगा (Fees Structure संलग्न)। इसके अतिरिक्त नव प्रवेशित विद्यार्थियों से (Caution Money (Refundable) एवं छात्रावास की उपलब्धता पर छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क ही लिया जायेगा। विद्यार्थी द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण एवं ओ0टी0पी0 से सत्यापन के उपरान्त आवेदन को फाइनल सबमिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित करते ही विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा।
2. फीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त / पेंडिंग होने, पी0एफ0एम0एस0 स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से निरस्त होने पर, विद्यार्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्डकापी संलग्नों सहित) संस्थान में उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः सामाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को विद्यार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
3. संस्थान में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरान्त विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड / एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऑनलाइन अन्तरित होने पर संबधित संस्था को विद्यार्थी द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।
4. विद्यार्थी का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा और वही नाम छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।
5. संस्थान में विद्यार्थी को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात विद्यार्थी व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (छायाप्रति संलग्न) निष्पादित किया जायेगा।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

Anurag
16/07/25

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि–

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता शैक्षणिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. कुलसचिव।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी।
6. प्रभारी, ई0आर0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
7. समस्त सूचना पट्ट।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

ई–मेल

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

संख्या–ए 928 /स0क0/शिक्षा–अ/4/159–2/2024–25
लखनऊ : दिनांक: 20 जून, 2024

1– समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–76/2023/2634/26–3–2023/C.N.-1574316 दिनांक 27–09–2023 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2023 जारी की गयी है। नियमावली के नियम–12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

(क)– राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई–के0वाई0सी0) एवं ओ0टी0पी0 से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइनल सब्मिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही, छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) फीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी0एफ0एम0एस0 स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता

स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करनें के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (छायाप्रति संलग्न) निष्पादित किया जायेगा।

2— चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल 01 जुलाई से खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल से प्रारम्भ होगी। छात्र द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रारूप में 12 बिन्दु निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण संस्था का नाम, वर्ग/जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई—मेल आई0डी0 व स्वनिर्मित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

3— रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का चयन किये जाने पर फीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया पेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

4— फीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण—पत्र व जाति प्रमाण—पत्र के नम्बर भरने पर ई—डिस्ट्रिक्ट की साईट से स्वतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फीशिप कार्ड पोर्टल से डाऊनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराया जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

5— छात्र द्वारा उक्त फीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान/अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्यवाही बाध्यकारी है।

6– उपरोक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अपने जनपद के सभी केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्धत राजकीय एवं अनुदानित संस्थान व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्धता प्राप्त समस्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थान के नोडल आफीसर की एक बैठक प्रत्येक दशा में दिनांक 01 जुलाई, 2024 से पूर्व अवश्य करा लिया जाय। सम्बन्धित संस्थाओं को यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाय कि शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराकर बैठक की कार्यवृत्त प्रत्येक दशा में निदेशालय में दिनांक 01–07–2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(रू0–100 / – के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक....................को (1)कु0 / श्रीमती / श्री....................जाति...............निवासी ग्राम / मु0......................तहसील.....................जिला......... ....जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

(2)...................... (संस्थाध्यक्ष), पता...............................जनपद............................(जहां छात्र / छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र / राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित है। नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4– प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतन 07 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

6– प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7– उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष / संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :

हस्ताक्षर.............
नाम ....
पिता / पति का नाम.......................
पता...................

द्वितीय पक्ष :

हस्ताक्षर.....................
नाम......................
पिता / पति का नाम...............
पता....................

साक्षी सं0–1

हस्ताक्षर..............
नाम..........................
पिता / पति का नाम.....................
पता.......................

साक्षी सं0–2

हस्ताक्षर..............
नाम व पदनाम........................
पिता / पति का नाम...............
पता........................

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda – 210201

E-Mail: director@recbanda.ac.in URL: www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301 Mob:+91-8765089509

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पत्रांक–1647/लेखा/रा०इं०का०/2025–26 दिनांक: 16/04/2025

FEE STRUCTURE SESSION 2025-2026

S.NO.	Fees Details	B.Tech. 1st Year/lateral Entry	B. Tech. 2nd/3rd 4nd Year
		University Fees	
1.	University Exam fees*	7500	7500
		Institute Fees	
2.	Tuition Fees	40000	40000
3.	Caution Money#	5000	-
4.	User Charges	9300	8300
5.	**Total**	54,300	48,300
		Hostel Fees	
	Hostel Fees	11000	11000

नोट:–

1. प्रथम वर्ष/लेटरल इंट्री के छात्र–छात्राओं, जिन्होने काउन्सलिग के समय रू0 20,000/– या रू0 12,000/– जमा किया है उन्हे कुल निर्धारित फीस में से जमा धनराशि घटाते हुऐ शेष धनराशि www.recbanda.ac.in पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से जमा करायें।
2. छात्रावास शुल्क जमा करने वाले छात्र–छात्राओं को ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. मेस शुल्क सम्बन्धित छात्रावास के बैंक खाते में ही जमा किया जायेगा।

* विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क रू 7500/– छात्र–छात्राओं द्वारा स्वयं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन जमा करना होगा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर वापस की जाने वाली धनराशि।

(Accountant) (F.& A. Officer) (Director)